18/1/2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थिया उपस्थित है। तहसीलदार कुम्भलगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल मिसल की गई। अधिवक्ता प्रार्थिया की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थिया ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार सा. कुम्भलगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थिया की ओर से भूमि की कीमत की दुगुनी राशि राज कोष में जमा करा दी जावेगी। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार कुम्भलगढ़ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थिया श्रीमती दुर्गाकुमारी पत्नी मनोहरलाल खटीक निवासी मालियों का मोहल्ला वल्लभनगर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर के ग्राम गवार ~~स्थित~~ तहसील कुंभलगढ़ स्थित खातेदारी भूमि आराजी नंबर 3872/102 रकबा 10.00.00 बीघा में आने-जाने हेतु इसी ग्राम की बिलानाम आराजी नम्बर 102 रकबा 175-15-00 बीघा में से रकबा 01-17-00 बीघा भूमि की आवश्यकता होने से प्रस्तावित की है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 30 फीट से अधिक नहीं है।

अतः तहसीलदार कुम्भलगढ़ द्वारा भिजवाया गया उक्त रास्ता प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है व प्रार्थिया द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता भूमि की D.L.C. दर 28642/- रुपये प्रति बीघा से कीमत 52988/- रुपये की दुगुनी कीमत 105976/- रुपये मद 0029-00-105-01-00 में जमा कराने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थिया द्वारा उक्त राशि जमा करा चालान पेश करने पर उक्त रास्ता अंकन करने का आदेश दिया जाता है। पृथक से आदेश जारी किया जा कर तहसीलदार कुम्भलगढ़ को पालना हेतु भेजा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ... जिला-राजसमन्द

Scanned with CamScanner